

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94

जयपुर, दिनांक :- -8 JUL 2020

—: संशोधित परिपत्र :-


विषय:-समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्त, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक संशोधित परिपत्र 26.06.2019 का अंतिम पैरा निम्नानुसार है:-

“यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101900862 दिनांक 27.02.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।”


उक्त पैरे को निम्नानुसार पढा जावे:-

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 212000056 दिनांक 30.01.2020 द्वारा प्रदत्त राय के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह प्रावधान दिनांक 08.02.2018 से प्रभावी होंगे।

  
(धारा सिंह मीणा)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1/ख-2) विभाग।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव